इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स का मासिक न्यूज़लेटर प्रतिवर्ष 40/रुपये

(आईएसओ 9001 : 2000 प्रमाणित संगठन)

आईआईबीएफ विज़न

व्यावसायिक उत्कृष्टता
के प्रति प्रतिबद्ध

खंड सं. : 2 अंक सं. : 10 मई 2010

संस्थान (इंस्टिट्यूट) का ध्येय (मिशन) "प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श / सलाह और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से व्यावसायिक रूप से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना है।"

विषय-सूची

मौद्रिक नीति ---------- 1
मुख्य घटनाएं---------- 2
बैंकिंग जगत की घटनाएं----------2
अर्थव्यवस्था----------4
विदेशी मुद्रा----------5
जिंस बाज़ार----------5
पारस्परिक निधियां----------5
विनियामक के कथन ----------5
विशिष्ट घटनाएं----------6
अंतरराष्ट्रीय समाचार----------7
नयी नियुक्तियां----------7
उत्पाद एवं गंठजोड----------7
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारीं ---------- 7
शब्दावली ----------8
संस्थान समाचार----------8
महत्वपूर्ण दरें / अनुपात----------8
बाज़ार की खबरें----------8

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना / समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों / मीडिया में प्रकाशित हो चुकी / चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की / किए जा रही / रहे हैं। उक्त सूचना / समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित / उल्लिखित घटनाएं सम्बन्धित स्रोत द्वारा यथा अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स समाचार मदों / घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सूचना की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी प्रकार से न तो उत्तरदायी है न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

मौद्रिक नीति

भारतीय रिज़र्व बैंक की ऋण नीति

मौद्रिक उपाय :

1.आरक्षित नकदी निधि अनुपात 24 अप्रैल से 25 आधार अंक बढ़ा कर 6 % कर दिया गया, जिससे 12,500 करोड़ की चलनिधि को अवशोषित किए जाने की आशा है।

2. पुनर्खरीद (reverse repo) दर 25 आधार अंक बढ़ा कर 5.25 % कर दी गई।

3. प्रत्यावर्ती (reverse) पुनर्खरीद दर 25 आधार अंक बढ़ा कर 33.75 % कर दी गई।

4.बैंक दर 6 % पर ही कायम रखी गई।

वित्तीय बाज़ार से सम्बन्धित उपाय

1. 2 वर्ष और 5 वर्ष की सांकेतिक कूपन वाली प्रतिभूतियों तथा 91 दिवसीय खज़ाना बिलों पर ब्याज दर वायदा सौदा (Futures) आरंभ।

2. मान्यता प्राप्त शेयर बाज़ारों को हाजिर / डालर रुपया विनिमय दर पर प्लेन वनीला मुद्रा विकल्प लागू करने की अनुमति।.

3. गौण बाज़ार में जमा प्रमाण पत्रों और वाणिज्यिक पत्रों में लेनदेनों के लिए रिपोर्टिंग मंच (plateform) की शुरूआत।

4. काउंटर पर क्रय-विक्रय की जाने वाली सभी ब्याज दर और विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नियों से सम्बन्धित

लेनदेनों के लिए एक-स्थलीय रिपोर्टिंग व्यवस्था के तौर-तरीकों की सूची तैयार करने हेतु एक कार्य

दल गठित।

विनियामक उपाय

1. विदेशी बैंकों के सम्बन्ध में सितम्बर, 2010 तक एक विचार-विमर्श दस्तावेज़ तैयार किया जाना।

2. निजी क्षेत्र की कम्पनियों को बैंकिंग लाइसेंस के सम्बन्ध में जुलाई 2010 तक एक दस्तावेज़ प्रस्तुत किया जाना।

3. बैंकों के लिए एक नियंत्रक कम्पनी ढांचा लागू किए जाने हेतु रूपरेखा संस्तुत करने के लिए एक कार्य दल का गठन।

4. 100 करोड़ रुपये की परिसम्पत्ति आकार वाली प्रमुख निवेश कम्पनियों (CICs) को भारतीय रिज़र्व बैंक के पास पंजीकरण कराना होगा।

मुख्य उद्देश्य

1.भारतीय रिज़र्व बैंक ने मध्य अवधि में मुद्रास्फीति का लक्ष्य 3% नियत किया है।

2.वर्ष 2010-11 के लिए आर्थिक वृद्धि का अनुमान 8 % लगाया गया है।

3, वित्त वर्ष 10 के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि के 7.2 -7.5 % रहने की आशा है।

4.वर्ष 2010-11 के लिए मुद्रास्फीति का अनुमान 5.5 % है।

मुख्य घटनाएं

बैंकों को आईएफआरएस मानदंडों को पूरा करने हेतु और दो वर्ष का समय

सरकार ने बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों (NBFCs) को उनकी लेखांकन परंपराओं को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (IFRS) के अनुरूप बनाने के लिए दो वर्ष का और अर्थात् अप्रैल 2011 तक का समय दिया है। 200 करोड़ से कम की निवल मालियत वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) और शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) को अनुपालन लागतें बचाने के लिए वर्तमान लेखांकन मानकों का

पालन करना जारी रखने की अनुमति दी गई है। राष्ट्रीय शेयर बाज़ार और बंबई शेयर बाज़ार में सूचीबद्ध सभी कम्पनियों और 500 करोड़ से अधिक की निवल मालियत वाली कम्पनियों को 1 अप्रैल, 2011 को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों के अनुपालन का वित्तीय विवरण प्रस्तुत करना होगा।

वित्तीय क्षेत्र से सम्बन्धित विधान की पुनरीक्षा की जाएगी

प्रस्तावित वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग (FSLRC) तीन महत्वपूर्ण विधानों यथा : भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934, बीमा अधिनियम, 1938 और प्रतिभूति संविदा विनियमन अधिनियम, 1956 का पुनरीक्षण करेगा। वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग (FSLRC) समस्त विधायी अंतरों पर ध्यान देगा तथा उन्हें वर्तमान समय के अनुरूप बनाने के लिए पुन: लिखित रूप देगा। बाज़ार के सहभागियों के समक्ष उपस्थित होने वाली एक अन्य प्रमुख चिंता है प्रतिभूतियों एवं व्युत्पन्नियों जैसे वित्तीय उत्पादों की परिभाषा, जिन्हें अलग-अलग विधानों में अलग-अलग तरीके से परिभाषित किया गया है।

बैंकों ने गृह ऋणों पर कमतर जोखिम-भार की मांग की

बैंकों ने भारतीय रिज़र्व बैंक से आवास ऋणों पर जोखिम-भार को घटा कर 30 लाख रुपये तक के ऋणों के लिए 35 % किए जाने का अनुरोध किया है। इसके अलावा, बैंकर चाहते हैं कि 30 लाख रुपये तक (वर्तमान 20 लाख रुपये तक के बजाय) के ऋणों को प्राथमिकता क्षेत्र उधार माना जाए। वर्तमान में 30 लाख रुपये तक के आवास ऋणों पर जोखिम-भार 50 % है, जबकि 30 लाख रुपये से अधिक के ऋणों के लिए यह मूल्य की तुलना मे ऋण (LTV) अनुपात 75 % से अधिक न होने पर 100 % है। मूल्य की तुलना में ऋण (LTV) के 75 % से अधिक होने पर जोखिम-भार बढ़ कर 100 % हो जाता है। जोखिम-भार में कटौती से 30 लाख रुपये तक के गृह ऋणों से सम्बन्धित ब्याज दर घटाने में सहायता प्राप्त होगी। इससे बैंकों को पूंजी बचाने में भी सहायता प्राप्त होगी, क्योंकि उनके अधिकांश गृह ऋण मध्यम एवं अल्प आय खंडों से होते हैं, जिनमें संवितरण की रकम 30 लाख रुपये से कम हुआ करती है। गृह ऋणों के वर्गीकरण में भी विसंगति है - 20 लाख रुपये से कम वाले ऋण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में आते हैं, यह एक ऐसी स्थिति है, जो 20 लाख रुपये से 30 लाख रुपये तक के बीच वाले ऋणों को नहीं उपलब्ध होती।

नयी दर प्रणाली से बैंक अधिक प्रभावित नहीं होंगे

भारतीय साख निर्धारण सूचना सेवा लिमिटेड (CRISIL) का कहना है कि 1 अप्रैल से ब्याज खातों की गणना की दैनिक औसत विधि की मुहिम से बैंकों की लाभप्रदता महत्वपूर्ण रूप से नहीं प्रभावित होगी। बैंकों को चालू और बचत खातों के अंश तथा उनके स्वरूप (Casa) के आधार पर जमा लागत में 10-20 आधार अंकों की वृद्धि का सामना करना होगा। हालांकि, इससे उनकी लाभप्रदता नहीं प्रभावित होगी अथवा चालू और बचत खातों के अंश तथा उनके स्वरूप (Casa) में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं आएगा। ब्याज गणना की नयी पद्धति से बचत खातों की शेष राशियों, विशेषत: वेतनभोगी खाता धारकों के मामले में प्रभावी ब्याज दर में कम से कम 10-25 % की वृद्धि होगी। बचतों पर 3.5 % के रूप में विद्यमान कम ब्याज दरों तथा 15

और 25 % के बीच घटते-बढ़ते रहने वाले बैंकों के समग्र जमा आधार में बचत जमाराशियों के अपेक्षाकृत कम अंश के कारण बैंकों पर वर्धित ब्याज व्यय का प्रभाव सीमित होगा।

बैंकिंग जगत की घटनाएं

लघु एवं मध्यम उद्यमों को संपार्श्विक का लाभ

सूक्ष्म और लघु उद्यम ऋण गारंटी न्यास निधि की सिफारिशों को भारतीय रिज़र्व बैंक की स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (MSMEs) की सभी इकाइयों को बैंकों से किसी प्रकार की संपार्श्विक प्रतिभूति के बिना ही 10 लाख रुपये तक के ऋण प्राप्त हो सकते हैं। उक्त न्यास लघु उद्यमी द्वारा किए गए किसी भी व्यतिक्रम की भरपाई करता है तथा एक एक छोटे से शुल्क द्वारा गारंटी प्रदान की जाती है।

वित्तीय समावेशन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय समावेशन को संचालित करने के लिए वाणिज्यिक प्रतिफल की अनुमति से सम्बन्धित अपनी नीति परिवर्तित कर दी है। अब, गैर-सरकारी संगठनों के अलावा लाभ-उन्मुख संगठनों को भी कारबार संपर्की (BC) बनने की अनुमति होगी। इससे गैर-बैंकिंग कम्पनियों के रूप में पंजीकृत सूक्ष्म वित्त कम्पनियों के लिए भी कारबार संपर्की बनने के दरवाज़े खुल जाएंगे।

सूक्ष्म दृष्टिकोण अपनाना

सरकार द्वारा गठित एक कार्य बल ने यह सिफारिश की है कि सभी बैंकों को वर्धित ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को ऋण में 20 % की वर्षानुवर्ष वृद्धि का लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, सभी बैंकों को सूक्ष्म उद्यम खातों की संख्या में 15 % की वृद्धि का लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए। हालांकि, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को किसी प्रकार का निर्देश नहीं जारी किया है, उसने उनसे केवल इन सिफारिशों को ध्यान में रखने के लिए कहा है।

मूल प्रभाव

यद्यपि 'मूल दर' से बड़े व्यावसायिक गृहों के लिए सस्ते ऋण प्राप्त करना कठिन हो जाता है, किन्तु अब वे बॉण्डों के निर्गम के माध्यम से बैंकों से अधिक निधियां जुटाने में सक्षम होंगे। भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को उन कॉरपोरेट बॉण्डों में निवेश करने की अनुमति प्रदान कर दी है, जिन्हें अभी तक सूचीबद्ध किया जाना है। वर्तमान में गैर-सूचीबद्ध बॉण्डों मे किसी भी प्रकार निवेश गैर-सरकारी बॉण्डों के 10 % की अधिकतम सीमा

की शर्त पर अनुमत है। इसकी एकमात्र शर्त यह है कि इन बॉण्डों के अंतत: विनिर्दिष्ट समय-सीमा में सूचीबद्ध न किए जाने पर गैर-सूचीबद्ध बॉण्डों के लिए नियत निवेश की अधिकतम सीमा लागू होगी।

ब्याज दर वायदा सौदों में अल्पावधिक प्रतिभूतियों को अनुमति

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दो वर्षीय और पांच-वर्षीय प्रतिभूतियों और 91 दिवसीय खज़ाना बिलों जैसी अल्पावधिक परिपक्वता अवधि वाली प्रतिभूतियों पर ब्याज दर वायदा सौदों में क्रय-विक्रय की अनुमति दे दी है। भारतीय रिज़र्व बैंक -भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थायी तकनीकी समिति इन उत्पादों को शेयर बाज़ार में उतारने के लिए उत्पाद डिज़ाइन तथा परिचालन के तौर-तरीकों को अंतिम रूप देगी। वर्तमान में शेयर बाज़ार में क्रय-विक्रय किए जाने वाले ब्याज दर वायदा सौदों (IRFs) के तहत केवल 10 वर्षीय सरकार प्रतिभूतियां ही क्रय-विकय के लिए उपलब्ध हैं। इन प्रतिभूतियों के प्रारंभ किए जाने से ब्याज दर वायदा सौदा बाज़ार में विद्यमान अंतर के मिट जाने की आशा है।

मुद्रा वायदों में विकल्पों के क्रय-विक्रय को स्वीकृति

आयातकों, निर्यातकों और पण्य व्यापारियों को मुद्रा जोखिमों से प्रतिरक्षण में सहायता प्रदान करने की एक मुहिम के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक ने मुद्रा वायदा (currency futures) बाज़ारों में विकल्पों (Options) की खरीद-बिक्री किए जाने की अनुमति प्रदान कर दी है। अब मान्यताप्राप्त शेयर बाज़ारों को निवासियों के लिए हाजिर अमरीकी डालर / रुपया विनिमय दर पर प्लेन-वनीला मुद्रा विकल्प आरंभ करने की अनुमति है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जमा प्रमाण पत्रों / वाणिज्यिक पत्रों के लिए रिपोर्टिंग मंच पर चिंतन

अल्पावधिक लिखतों के गौण बाज़ार में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक वाणिज्यिक पत्रों (CPs) और जमा प्रमाण पत्रों (CDs) से सम्बन्धित सौदों के लिए एक रिपोर्टिंग मंच (plateform) आरंभ करना चाहता है। निर्धारित आय मुद्रा बाज़ार और व्युत्पन्न (डेरिवेटिव्ज) संघ उसके कॉरपोरेट बॉण्डों के लिए पहले से मौजूद जैसे ही एक रिपोर्टिंग मंच विकसित करेगा। कालांतर में, रिपोर्टिंग प्रणाली के कार्यरत हो जाने पर कॉरपोरेट बॉण्डों के मामले में काउंटर पर लेन-देन बाज़ार के लिए पहले से मौजूद प्रणाली जैसी ही एक निपटान व्यवस्था भी लागू की जा सकती है।

फोन बैंकिंग को और सुरक्षित बनाना

बैंकों को शीघ्र ही फोन पर लेनदेन करने वाले उनके डेबिट और क्रेडिट कार्ड ग्राहकों के लिए एक अतिरिक्त अधिप्रमाणन सुरक्षा व्यवस्था भी लागू करनी पड़ेगी। शाखा-रहित बैंकिंग लेनदेनों में पहचान से सम्बन्धित धोखाधड़ियों से निपटने के अपने प्रयासों को और आगे बढ़ाते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने सभी बैंकों से (अगले वर्ष तक) एक ऐसी प्रणाली लागू करने के लिए कहा है, जिसमें क्रेडिट और डेबिट कार्ड ग्राहकों के लिए आईवीआर (अंत: क्रिया ध्वनि उत्तर प्रणाली) लेनदेनों के लिए एक अतिरिक्त पासवर्ड दिए

जाने की आवश्यकता होगी। इस प्रकार ग्राहकों को कार्ड संख्या, जन्म तिथि, कार्ड की निर्गम या समाप्ति की तिथि और कुछेक मामलों में टेलीफोन से सम्बन्धित पासवर्ड जैसे इस समय प्रचलित ब्योरों के अलावा, उनके फोन पर एक अतिरिक्त पासवर्ड की चावी (Key) लगाना आवश्यक होगा।

रकम वापस निकालें और जुरमाना भरें

अब बैंक उन उधारकर्ताओं को दंडित कर सकते हैं, जो बढ़ती ब्याज दरों का लाभ उठाने के लिए अपनी मीयादी जमाराशियों को समय-पूर्व आहरित कर लेते हैं। समय-पूर्व उधार लेने की स्वतंत्रता से आस्ति-देयता में बेमेल (असंतुलन) पैदा होता था, क्योंकि बैंक उनके कुछेक ऋणों के सम्बन्ध में स्थिर दरों से बंधे होते थे। उक्त छूट बैंकों को इस बात के लिए पुन: आश्वस्त करेगी कि ब्याज दरों में वृद्धि होने पर उनकी पुरानी अल्प लगत वाली जमाराशियों का भारी मात्रा में आकस्मिक आहरण नहीं होगा।

कारबार संपर्की मॉडल गति पकड़ रहा है

कारबार संपर्कियों (BCs) की भर्ती में वृद्धि से महिलाओं सहित ग्रामीण युवकों के लिए बहुत सारे रोज़गार सृजित हो रहे हैं। कारपोरेशन बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री असित पाल,बताते हैं, "सामान्यतया कारबार संपर्कियों को कार्य स्थल के आधार पर प्रति माह 3,500 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक का स्थायी वेतन प्रदान किया जाता है। इसके साथ ही उन्हें अभिप्रेरित करने के लिए (कमीशन जैसे) लेनदेन शुल्क का घटक भी मौजूद है।" इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स (IIBF), मुंबई के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री आर. भास्करन का कहना है, "निकट भविष्य में कारबार संपर्कियों की आवश्यकता से सम्बन्धित अनुमान में 1 मिलियन से लेकर 1.5 मिलियन का हेरफेर है, जिसे ध्यान में रखते हुए हमने कारबार संपर्कियों की नियोजन-योग्यता बढ़ाने के लिए एक प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम भी आरंभ कर दिया है।" कारबार संपर्कियों की नियुक्ति करते समय बैंक एसएससी तक की योग्यता रखने वाले और उनके इलाके से जुड़े युवकों एवं महिलाओं को वरीयता देते हैं।

बैंक मूल दर प्रणाली के तहत उधार देने के विकल्पों का अध्ययन कर रहे हैं

मूल दर नियत करने के बारे में भारतीय रिज़र्व बैंक का अनुमोदन प्राप्त कर लेने के बाद बैंकों ने अब नये न्यूनतम मानदंड के तहत उधार देने के लिए विविध प्रकार की पद्धतियों की तलाश आरंभ कर दी है। एक बैंक एक निश्चत अवधि से कम के ऋणों पर नकारात्मक प्रीमियम वसूल करने की संभावना का पता लगा रहा है। उदाहरण के तौर पर यदि वह मूल दर नियत करने के लिए न्यूनतम दर के रूप में एक-वर्ष वाली जमाराशियों की सीमान्त लागत का उपयोग करता है, तो नकारात्मक प्रीमियम उन सभी ऋणों के लिए वसूल किया जाएगा, जिनकी अवधि 12 माह से कम हो। यदि उक्त प्रस्ताव अनुमोदित हो जाता है, तो कम्पनियां मूल दर के 8 % होने पर भी नौ महीने के लिए 7 % पर ऋण प्राप्त कर सकेंगी। निधियों की वर्तमान औसत लागत के आधार पर यह अनुभव किया जाता है कि मूल दर 8.5- 9 % के आसपास होगी।

वर्तमान सावधि और गृह ऋणों, जो अपेक्षाकृत अधिक अवधि वाले हैं, को मूल दर में परिवर्तित करना एक चुनौती होगी, क्योंकि परिवर्तन के लिए ग्राहक की सहमति आवश्यक होगी।

प्रमुख दरों में वृद्धि के बावजूद जमा प्रमाण पत्रों का ब्याज लुढ़का

भारतीय रिज़र्व बैंक की मंद मौसम वाली ऋण नीति में 25 आधार अंकों की चौतरफा वृद्धि के बावजूद जमा प्रमाण पत्रों (CDs) की दरों में तीव्र गिरावट आई है। एक वर्ष के जमा प्रमाण पत्र की दर मार्च के 6.7 % के औसत से घट कर 6.44 % पर आ गई। बैंकों ने इस मार्ग के माध्यम से लगभग 5,000 करोड़ रुपये जुटाए। हालांकि, व्यापारियों का कहना है कि दरों में गिरावट व्यापक रूप से बैंक जमा प्रमाण पत्रों में विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) की रुचि के कारण आई। यद्यपि, विदेशी संस्थागत निवेशकों की वरीयता अधिकांशत: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के जमा प्रमाण पत्र प्रस्तावों के लिए थी और वह भी अधिकतम छ: माह की परिपक्वता वाले कम अवधि के जमा प्रमाण पत्रों के लिए। यह अधिमान खज़ाना बिलों की तुलना में बेहतर प्रतिफल को ध्यान में रखते हुए था। इसके अलावा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में आने वाले बैंकों को अन्तर्निहित सावरिन सुरक्षा प्राप्त संस्थाओं की दृष्टि से देखा जाता है।

खुदरा, कॉरपोरेट उधारों में उछाल

अर्थव्यवस्था में गति आ जाने के परिणामस्वरूप कम्पनियां और व्यक्तियों, दोनों ही द्वारा सुस्पष्ट रूप से अधिक उधार लिया जा रहा है। खाद्येतर ऋण में वर्ष 2009-10 में (26 मार्च तक) 17 % की वृद्धि दर्ज हुई, जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नियत 16 % के लक्ष्य को पार कर गई। कुल मिला कर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) ने कॉरपोरेट और खुदरा उधारकर्ताओं को वर्ष के दौरान 4.62 लाख करोड़ का उधार दिया। वर्ष के दौरान कुल ऋणों में हुई वृद्धि लगभग 16.75 % रही। वर्ष के अंत में जमाराशियों और ऋणों, दोनों में ही यह उछाल असामान्य नहीं है, क्योंकि बैंक वित्त वर्ष के लिए अपने तुलन पत्रों को बंद करते हैं।

बैंकों ने पुराने ग्राहकों को अपेक्षाकृत सस्ती दरें अपनाने की सुविधा दी

पुरानी और नयी दरों के बीच विरोधाभास पिछले वर्ष उस समय सुस्पष्ट हो गया, जब चलनिधि की स्थिति पर्याप्त रूप से सुधर गई और बैंकों ने 8-8.5 % की टीजर दरों पर नये ग्राहकों को रिझाना आरंभ कर दिया। हालांकि, इससे उन विद्यमान ग्राहकों को अलग रखा गया, जिन्होंने इसके पूर्व अस्थिर दरें चुन रखी थीं, उन्हें पिछले डेढ़ वर्षों में कमतर दरों की सुविधा नहीं दी गई थी और उन्होंने 10-11 % के ब्याज दर मान में भुगतान किया था।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक व्यवहार्य करबार सिद्ध हो सकते हैं

अच्छा लाभ, प्रति शाखा भारी कारबार, कम लागत वाली जमा अनुपातों का अच्छा-खासा स्तर और इसी प्रकार की अन्य विशेषताएं केवल सार्वजनिक क्षेत्र और निजी बैंकों के प्रमाण चिन्ह नहीं हैं। देश के कुछेक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने इन मापदंडों में से कई एक के आधार पर वाणिज्यिक बैंकिंग क्षेत्र के अपने प्रतिपक्षियों की तुलना में अच्छा कार्य-निष्पादन दर्शाया है। रोचक तथ्य यह है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पास कम लागत वाले खाते अधिक हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पास खोल रखे गए कुल 9.35 करोड़ जमा खातों में से 7.47 करोड़ खाते कम लागत वाले जमा खाते हैं। मार्च, 2009 के अत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 15,181 शाखाएं कार्यरत थीं। डॉ. एन.के. थिंगलिया, अर्थशास्त्री- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, विशेषत: उन स्थानों पर जहां वे ऐसे संकीर्ण परिचालन क्षेत्रों तक ही सीमित हैं, जिनमें विस्तार की बहुत कम गुंजाइश है, के बीच और अधिक समेकन का सुझाव देते हैं। ऐसे अपेक्षाकृत बड़े क्षेत्रीय ग्रमीण बैंकों के मामले में, जो कुछेक पुरानी पीढ़ी के निजी बैंकों से बड़े हो गए हैं, परिचालन में विस्तार किए जाने की गुंजाइश मौजूद है।

इंडियन बैंक शून्य निवल अनर्जक आस्ति वाला बैंक होगा

इंडियन बैंक, जिसने 1.5 लाख करोड़ रुपये के कारबार स्तर को पार कर लिया है, जैसा कि उसके नव-नियुक्त अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक श्री टी.एम. भसीन द्वारा दावा किया गया है, ने मार्च, 2011 तक शून्य अनर्जक आस्ति वाला बैंक बनने का लक्ष्य निर्धारित कर रखा है। "यह कार्य वसूली पर अतिरिक्त संकेन्द्रण के साथ पूरा किया जा सकता है।" उन्होंने इस बात पर बल देते हुए बताया कि "अनर्जक आस्ति में कमी का अर्थ है अशोध्य ऋणों की वसूली तथा तकनीकी रूप से बट्टे खाते डाले गए खातों से वसूली।"

निजी बैंकों के ऋण में वृद्धि परिलक्षित

निजी क्षेत्र के बैंकों ने उनके सार्वजनिक क्षेत्र के और विदेशी प्रतियोगियों, जिनकी वृद्धि दरों में गिरावट परिलक्षित हुई, से बेहतर कार्य-निष्पादन दर्शाते हुए 26 मार्च को समाप्त 12 महीनों में ऋण वृद्धि में 70 आधार अंकों की बढ़ोत्तरी दर्ज की। हालांकि, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और विदेशी उधारदाताओं, दोनों ही के पिछले वर्ष के ऋण आंकड़ों में अंतर कम हो गया है। इससे यह पता चलता है कि बैंकिंग उद्योग में ऋणों की मांग में पुनरुत्थान हो रहा है। निजी क्षेत्र के बैंकों के मामले में ऋण वृद्धि की गति एक वर्ष पहले की 11 % की तुलना में इस अवधि में 11.7 % रही। विदेशी बैंकों की ऋण-बहियों में संकुचन की प्रवृत्ति जारी रही, किन्तु इस (संकुचन) की गति कम हो गई।

मार्च -दिसम्बर 09 की अवधि में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की अनर्जक आस्तियां बढ़ीं

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की अनर्जक आस्तियां पिछले वर्ष की मार्च और दिसम्बर अवधि में 23 % बढ़ीं, क्योंकि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी और देश में विद्यमान सूखे की स्थितियों ने परिसम्पत्ति की गुणवत्ता को प्रभावित किया। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने निवल अनर्जक आस्तियों में वृद्धि रिपोर्ट किया है, जो मार्च, 2009 के अंत में 20,801 करोड़ रुपये से बढ़ कर दिसम्बर, 2009 में 25,610 करोड़ रुपये हो गईं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की निवल अनर्जक आस्तियां मार्च, 2008 के अंत में 18,009 करोड़ रुपये थीं।

अनर्जक आस्तियों की एक झलक करोड़ रुपयों में

बैंक का नाम	मार्च, 08	मार्च, 09	दिसम्बर, 09
भारतीय स्टेट बैंक	7252	8850	10201
केनरा बैंक	898	1350	1721
आईडीबीआई बैंक	925	949	1554
पंजाब नैशनल बैंक	754	264	842
बैंक ऑफ इंडिया	557	834	1457
इंडियन ओवरसीज़ बैंक	339	946	1428
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	254	272	649
सिंडिकेट बैंक	621	631	835
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	306	525	704
यूको बैंक	1092	813	657
आसीआईसीआई बैंक	3476	4488	4178

स्रोत : बिजिनेस लाइन

बैंकों के सीएएसए के अंश में बढ़ोत्तरी

कम्पनियों और व्यक्तियों के पास मौजूद अतिरिक्त नकदी के साथ ही प्रणाली में विद्यमान प्रचुर चलनिधि के परिणामस्वरूप बैंकों में चालू खातों और बचत खातों (Casa) में शेष राधियों का जमाव हो गया है। (ग्राफ देखें)।

सही संमिश्र

कुल जमाराशियों में चालू खातों और बचत खातों का अंश (%)

60
50
40
30
20
10
0

मार्च, 2009
मार्च, 2010

एचडीएफसी बैंक, ऐक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, देना बैंक, कारपोरेशन बैंक, इंडसइंड बैंक, येस बैंक, इंडियन बैंक

स्रोत : बिजिनेस स्टैंडर्ड

अर्थव्यवस्था

विश्वव्यापी मंदी के बावजूद भारतीय प्रवासियों के विप्रेषण में बढ़ोत्तरी

विश्वव्यापी वित्तीय मंदी से विचलित हुए बिना अप्रैल-सितम्बर, 2009 की अवधि में भारतीय प्रवासियों द्वारा किए जाने वाले विप्रेषण में 1 बिलियन डालर की वृद्धि हुई, जिससे वह बढ़ कर 27.51 बिलियन डालर (लगभग 1,22.420 करोड़ रुपये) हो गया। विप्रेषण की यह राशि पिछले वर्ष की इसी अवधि के 26.37 बिलियन डालर के स्तर की तुलना में बढ़ी, क्योंकि भारत ने काफी बेहतर प्रतिलाभ उपलब्ध कराया।

विदेशी मुद्रा विनिमय

भारतीय रिज़र्व बैंक की डालर संदर्भ दर

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अमरीकी मुद्रा की संदर्भ दर प्रति डालर 44.42 रुपये तथा एकल यूरोपीय इकाई की क्रमश: 44.45 रुपये प्रति डालर के स्थान पर 59.39 रुपये प्रति यूरो और 59.67 रुपये प्रति यूरो नियत किया है। अमरीकी डालर और परस्पर लेनदेन की मुद्रा की उद्धृत मध्यवर्ती दरों के आधार पर रुपये के समक्ष ग्रेट ब्रिटेन के पौण्ड और जापानी येन की विनिमय दरें क्रमश: प्रति पौण्ड 67.7560 रुपये और प्रति 100 येन 47.28 रुपये उद्धृत की गई हैं।

विदेशी मुद्रा की आरक्षित निधि में 932 मिलियन अमरीकी डालर की वृद्धि

मुद्राओं के पुनर्मूल्यांकन के कारण विदेशी मुद्रा की आरक्षित निधि में 9 अप्रैल को समाप्त सप्ताह के दौरान 932 मिलियन अमरीकी डालर की वृद्धि हुई, जिससे वह बढ़ कर 280.03 बिलियन अमरीकी डालर हो गई। विदेशी मुद्रा में आस्तियों में 933 मिलियन अमरीकी डालर की बढ़ोत्तरी हुई, जिससे वे 255.66 बिलियन अमरीकी डालर हो गईं।

जिंस बाज़ार

एनएसईएल लिमिटेड ई-सिल्वर की शुरूआत करेगा

छोटे निवेशकों को धातुओं में निवेश करने हेतु आकर्षित करने के लिए वित्तीय प्रौद्योगिकी समूह द्वारा प्रवर्तित नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (NSEL) बाज़ार में ई-सिल्वर की शुरूआत करेगा। भारत में पहली बार

खुदरा निवेशक सिल्वर को डिमैट रूप में खरीद सकते हैं अथवा कम मूल्यवर्गों की भी वास्तविक सुपुर्दगी प्राप्त कर सकते हैं।

पारस्परिक निधियां

नकदी-सम्पन्न बैंकों ने अपनी मुद्रा पारस्परिक निधियों में निवेशित की

प्रचुर निधियां रखने वाले बैंकों ने पारस्परिक निधियों (MFs) में निवेश करना पुन: आरंभ कर दिया है। कदाचित ऐसा ऋण की मांग होने के कारण और पारस्परिक निधियों द्वारा ऐसे प्रतिलाभ उपलब्ध कराए जाने के कारण हो रहा है, जो कर कटौती के अधीन नहीं आते। यद्यपि भारतीय रिज़र्व बैंक बैंकों द्वारा पारस्परिक निधियों में निवेश किए जाने पर अप्रसन्नता व्यक्त करता है, उसने किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई है। सरकार ने भी पारस्परिक निधियों में वित्तीय प्रोत्साहनों की नीति जारी रखी है। अधिशेष चलनिधि 75,000 करोड़ रुपये की उस रकम में प्रतिबिंबित होती है, जो बैंकों द्वारा औसतन प्रति दिन भारतीय रिज़र्व बैंक के पास उसकी आरक्षित पुनर्खरीद (Repo) खिड़की के तहत रखी जाती है। 3.5 % की पुनर्खरीद (Repo) दर मुद्रा बाज़ार की दरों के लिए एक आधार का काम करती है तथा वह उस प्रतिलाभ का भी संकेतक होती है, जो पारस्परिक निधियां अर्जित कर सकती हैं। हालांकि, कर लाभ को ध्यान में रखते हुए बैंकों के लिए मुद्रा को पारस्परिक निधियों में निवेशित करना अधिक फायदेमंद लगता है, जो उसके बाद उसे मुद्रा बाज़ार में उधार देती हैं अथवा कॉरपोरेट कम्पनियों द्वारा जारी किए जाने वाले अल्पावधिक वाणिज्यिक पत्रों में निवेशित करती हैं।

विनियामकों के कथन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को ऋण पुनर्व्यवस्थित करने से बचने का और मौका दिया

बैंकों को ऐसी परियोजनाओं को प्रदत्त ऋणों को पुनर्व्यवस्थित अथवा पुनर्संरचित करने हेतु अधिक सहूलियत प्रदान की गई है, जो कानूनी विवादों या सरकारी अनुमोदनों जैसे बाहरी कारकों के कारण विलंबित हो गई हैं। कानूनी विवादों के कारण पूरी होने की निर्धारित तिथि से (इसके पहले दो वर्ष की तुलना में) चार वर्ष चार वर्ष की अवधि तक विलंबित आधारभूत सुविधा कम्पनियों को दिए गए ऋणों को अब मानक आस्ति माना जाएगा। बाहरी कारकों के कारण हुए विलंब की स्थिति में किसी परियोजना ऋण को (इसके पहले के दो वर्षों के बजाय) तीन वर्ष तक के विलंब हेतु मानक आस्ति माना जाएगा। गैर-आधारभूत सुविधा परियोजनाओं के मामले में, जहां भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को वाणिज्यिक परिचालन आरंभ होने

की तिथि से छ: माह तक के विलंब के लिए किसी परियोजना ऋण को मानक आस्ति मानने की अनुमति दी थी, उक्त सीमा को एक वर्ष तक बढ़ा दिया गया है।

सेबी ने अपने ग्राहक को जानिए दिशानिर्देशों के अनुपालन की समय-सीमा बढ़ाई

ग्राहकों से 'अपने ग्राहक को जानिए' (KYC) दिशानिर्देशों से सम्बन्धित विवरण एकत्रित करने से सम्बन्धित कठिनाई का सामना कर रहे दलाली गृहों से प्राप्त अनुरोधों से घिरे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने ग्राहक-अनुपालन से सम्बन्धित अपनी समय-सीमा को (इसके पूर्व वाली 31 मार्च, 2010 के स्थान पर) बढ़ा कर 30 जून, 2010 कर दी है। पिछले दिसम्बर में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने कहा था कि शेयर बाज़ार के व्युत्पन्नी खण्ड में क्रय-विक्रय करने वाले ग्राहक अपने दलालों को अपनी वार्षिक आय अथवा अपनी निवल हैसियत के प्रलेखी साक्ष्य प्रस्तुत करें। स्वीकार्य प्रलेखों में आय कर विवरणियों की प्रतियों अथवा वेतन पर्चियों या लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखों का और निवल मालियत के मामले में किसी सनदी लेखाकार अथवा बैंक द्वारा जारी किए गए "निवल मालियत प्रमाण पत्र" की प्रतियों, मीयादी जमा रसीदों की प्रतियों, पारस्परिक निधि धारिता विवरणों, बैंक विवरणों आदि जैसे साक्ष्यों का समावेश था।

रिज़र्व बैंक ने बाज़ार स्थिरीकरण खिड़की पुन: खोली

लगभग दो वर्ष के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखने के लिए प्रणाली में मौजूद चलनिधि को अवशोषित करने हेतु बाज़ार स्थिरीकरण योजना ( ) नामक आवर्धन योजना की घोषणा की है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2010-11 के लिए बाज़ार स्थिरीकरण योजना बकाये की उच्चतम सीमा 50,000 करोड़ रुपये निर्धारित की है। वर्ष 2007-08 में भारतीय रिज़र्व बैंक ने बाज़ार स्थिरीकरण योजना के तहत 2,50,000 करोड़ रुपये की की रकम एकत्रित की थी, जिसे अधिकांश रूप से विश्वव्यापी वित्तीय संकट के बाद प्रणाली को चलनिधि उपलब्ध कराने हेतु अगले दो वर्षों में परिसमाप्त कर दिया गया था। 50,000 करोड़ रुपये की इस उच्चतम सीमा की बकाया रकम के 35,000 करोड़ रूपये की प्रारंभिक सीमा तक पहुंच जाने पर पुनरीक्षा की जाएगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्रतिभूतिकरण लेनदेनों से सम्बन्धित दिशानिर्देशों का प्रारूप जारी किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्रतिभूतिकरण लेनदेनों के सम्बन्ध में न्यूनतम धारिता अवधि और न्यूनतम प्रतिधारण अपेक्षा से सम्बन्धित दिशानिर्देशों का प्रारूप जारी कर दिया है। इन दिशानिर्देशों में यह प्रस्तावित है कि ऋण-विक्रेता को ऋण को अपनी बहियों में कम से कम एक वर्ष तक धारित किए रहना चाहिए तथा ऋण के दो वर्ष वाली मूल परिपक्वता अवधि में होने पर प्रतिभूत रकम का कम से कम 10 % धारित किए रहना चाहिए। इसके अलावा, उक्त ऋण दो वर्ष के लिए होने पर प्रवर्तक को उसे अपनी बहियों में कम से कम नौ माह तक धारित किए रहना चाहिए तथा उसे (प्रवर्तक को) प्रतिभूत रकम का कम से कम 5 % का अभिदान करना चाहिए। बाद वाली स्थिति में, दो वर्ष की अवधि ऋण के संपूर्ण संवितरण की तिथि अथवा उस ऋण की पहली किस्त की तिथि से आरंभ होगी। इन दिशानिर्देशों के पीछे निहित उद्देश्य एक व्यवस्थित एवं सुदृढ़

प्रतिभूतिकरण बाज़ार का विकास करना, प्रवर्तकों और निवेशकों के हितों का अधिकाधिक संरेखण सुनिश्चित करना तथा उसके साथ ही प्रतिभूतिकरण क्रियाकलाप का विकास भी सुनिश्चित करना है।

आरक्षित नकदी निधि अनुपात अधिक प्रभावी उपकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक ने कहा है कि प्रेषण और मौद्रिक नीति के लिए एक नीतिगत उपकरण के रूप में आरक्षित नकदी निधि अनुपात नीतिगत दरों की अपेक्षा अधिक प्रभावी है तथा वह साधारण उपायों में और गैर-विघटनकारी विधि से एक उपकरण के रूप में पहले वाले का उपयोग करना जारी रखेगा। भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर डॉ. सुबीर गोकर्ण ने कहा, "यदि मूल्य-निर्धारण आप जो चाहते हैं उसे नहीं प्राप्त करने वाला है, तो (उनकी) आवश्यकता पड़ने पर मात्रात्मक उपकरणों के उपयोग से क्यों इनकार किया जाए ? वह वास्तविक रूप से वही व्यावहारिकता है जिसके साथ हम अब आरक्षित नकदी निधि अनुपात को देख रहे हैं।" शीर्ष बैंक ने प्रमुख ब्याज दरें और आरक्षित नकदी अनुपात, प्रत्येक को में 25 आधार अंकों की वृद्धि कर दी है, जिसमे उस समय और भी वृद्धि किए जाने की संभावना है, जब वह मौद्रिक नीति को संकट के पूर्व वाली स्थितियों की ओर ले जाएगा तथा लगभग दो अंकों वाली मुद्रास्फीति से निपटेगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक 70 % के प्रावधान व्याप्ति अनुपात की समय-सीमा बढ़ा सकता है

भारतीय रिज़र्व बैंक कुछेक बैंकों को उस 70 % के प्रावधान व्याप्ति अनुपात को पूरा करने के लिए और समय दे सकता है, जिसे उनके द्वारा सितम्बर, 2010 तक पूरा किया जाना निर्धारित है। भारतीय रिज़र्व बैंक की उप गवर्नर श्रीमती श्यामला गोपीनाथ ने कहा है कि वे इस मामले पर मामला-दर-मामला आधार पर विचार कर रहे हैं। यह कहा जा रहा है कि छोटे बैंकों तथा यहां तक कि भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और केनरा बैंक जैसे बड़े बैंकों के लिए भी आगामी छ: महीनों में प्रावधान व्याप्ति अनुपात को प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण कार्य सिद्ध हो सकता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक प्रावधान सुरक्षा मानदंड मामला-दर-मामला आधार पर लागू करेगा

भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर डॉ. के.सी चक्रवर्ती ने बताया कि बैंक ने 70 % के प्रावधान सुरक्षा लक्ष्य की प्राप्ति की समय-सीमा बढ़ाए जाने से सम्बन्धित आदेश सभी बैंकों को नहीं जारी किया था तथा वह बैंकों की आवश्यकता पर मामला-दर-मामला आधार पर विचार करेगा। डॉ, चक्रवर्ती ने सूचित किया की "हमने समय-सीमा नहीं बढ़ाई है, क्योंकि हमारे पास अब भी कुछ समय शेष है। यदि कुछेक बैंकों को इस अपेक्षा को पूरा करने में समस्या का सामना करना पड़ रहा हो, तो हम उनके अनुरोध पर मामला-दर-मामला आधार पर विचार करेंगे।"

विशिष्ट घटनाएं

भारतीय डाक विभाग बैंक स्थापित करने के लिए संभाव्यता अध्ययन की तैयारी में

भारतीय डाक विभाग शीघ्र ही न केवल डाक का वितरण करेगा, अपितु उसके पास अपना स्वयं का बैंक भी होगा। वित्तीय सेवाओं के उप महा निदेशक श्री ए. एस प्रसाद द्वारा यथापुष्ट समाचार के अनुसार भारतीय डाक विभाग एक बहु-प्रतीक्षित सपने - भारतीय डाक बैंक की स्थापना- को वास्तविकता का रूप देने से सम्बन्धित संभाव्यता अध्ययन करने की प्रक्रिया से गुजर रहा है। विभाग को उक्त प्रस्ताव से सम्बन्धित उसके अनुरोध के आठ संस्थाओं से प्रत्युत्तर प्राप्त हुए हैं। प्रसाद का कहना है कि "हम इस अनुरोध की जांच कर रहे हैं और शीघ्र ही इन प्रत्युत्तरों को अंतिम रूप देने में समर्थ हो जाएंगे, जिसके बाद हम इसे सरकार को भेज सकते हैं। हम मार्च, 2012 तक या तो एक बैंक खोल सकते हैं या फिर उसे कतई नहीं खोलेंगे।"

छात्र अब कर-मुक्तता की सुविधा पा सकेंगे

सरकार द्वारा उस शैक्षणिक कार्यक्रम की अवधि, जिसके लिए छात्र ने ऋण ले रखा है, जिसे आम तौर से अधिस्थगन अवधि के रूप में जाना जाता है, के ब्याज का भुगतान किए जाने की तैयारी किए जाने के परिणामस्वरूप शिक्षा ऋणों के सस्ते हो जाने की संभावना है। इससे छात्रों की समीकृत मासिक किस्त में महत्वपूर्ण रूप से कमी लाने में सहायता प्राप्त होगी। सरकार से प्राप्त होने वाली प्रस्तावित ब्याज दर सहायता से बैंकों को भी लाभ होगा, जो शिक्षा ऋणों के सम्बन्ध में चूकों और गैर-अदायगी की शिकायत कर रहे थे। अनुमान है कि लगभग 2-3 % शिक्षा ऋण समस्यामूलक हो गए हैं। अब तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 16,98,601 छात्रों को 32,000 करोड़ रुपये के शिक्षा ऋण दे रखे हैं। विशिष्ट रूप से, कोई छात्र / छात्रा अपना अध्ययन पूरा कर लेने के एक वर्ष बाद समीकृत मासिक किस्तों की अदायगी आरंभ करता / करती है। एक वर्ष के अधिस्थगन का उद्देश्य छात्र / छात्रा को नौकरी ढूढ़ने के लिए समय देना है।

शिक्षा ऋण के ब्याज पर कर सम्बन्धी रियायत सभी धाराओं तक विस्तारित

सरकार ने शैक्षणिक ऋणों पर प्रदत्त ब्याज से सम्बन्धित कर रियायत को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों सहित अध्ययन की सभी धाराओं तक विस्तारित कर दिया है, इस प्रकार इस शैक्षणिक सत्र से इसका लाभ उच्चतर अध्ययन का विकल्प चुनने वाले सभी आर्थिक संस्तरों के छात्रों को उपलब्ध होगा। यह रियायत अब तक इंजीनियरिंग, आयुर्विज्ञान, प्रबन्धन में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों तथा गणित एवं सांख्यिकी सहित अनुप्रयुक्त विज्ञानं और विशुद्ध विज्ञान में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों तक ही सीमित थी।

आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध पुन: लागू हो सकते हैं

विश्व व्यापार संगठन के तहत आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंधों को समाप्त करने पर विवश हो जाने के बाद भारत घरेलू कानून में परिवर्तन करना चाहता है, ताकि वह आयात में वृद्धि के विरुद्ध अपने उद्योगों को सुरक्षित रखने में समर्थ हो सके। संसद की स्थायी समिति ने विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम को संशोधित करने के लिए एक विधेयक में एक प्रावधान को कमोबेश अनुमोदित कर दिया है। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा समिति को यह सूचित किया गया कि मात्रात्मक प्रतिबंधों (QRs) से सम्बन्धित प्रावधानों की सुविधा विश्व व्यापार संगठन (WTO) के सभी सदस्यों को उपलब्ध है। यह सुविधा प्राप्त करने के लिए देश के पास एक समर्थकारी घरेलू कानून का होना आवश्यक है। भारत को वर्ष 2001 में विश्व व्यापार संघ में अमरीका के विरुद्ध एक ऐसे मामले, जिसमें औद्योगिक एवं कृषि मदों के भारी संख्या में आयात पर लगे इन प्रतिबंधों को चुनौती दी गई थी, में मिली पराजय के बाद 700 से अधिक मदों पर मात्रात्मक प्रतिबंध समाप्त करने पड़े थे। मात्रात्मक व्यवस्था के तहत कोई देश आयात की जाने वाली ऐसी मदों पर एक सीमा तक प्रतिबंध लगा सकता है, जो उसके घरेलू उद्योगों के लिए संवेदनशील हों।

अंतरराष्ट्रीय समाचार

बैंक ऑफ इंग्लैंड ने रिकार्ड प्रोत्साहन की व्यवस्था की, दर को नियंत्रित रखा

बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अपने बॉण्ड खरीद कार्यक्रम को तीसरे माह भी अपरिवर्तित रखा, क्योंकि वह विश्वयुद्ध II के बाद की गहनतम मंदी से अर्थव्यवस्था के पुनरुत्थान को स्थिर बनाने का प्रयास कर रहा है। गवर्नर श्री मार्विन किंग के नेतृत्व वाली मौद्रिक नीति समिति ने अपनी परिसम्पत्ति खरीद योजना का लक्ष्य 200 मिलियन पौण्ड (304 बिलियन अमरीकी डालर) नियत किया। बैंक ने अपनी न्यूनतम ब्याज दर को भी 0.5 % के रिकार्ड कम स्तर पर कायम रखा। बैंक ऑफ इंग्लैंड के अधिकारियों ने अपनी टिप्पणियों को 6 मई के चुनावों के पहले स्थगित रखा है, क्योंकि प्रधान मंत्री श्री गोर्डन ब्राउन और चुनौतीदाता श्री डेविड कामरान के बीच इस बात को लेकर नोकझोंक जारी है कि घाटे को ग्रीस के समरूप कम करने के पहले आर्थिक प्रोत्साहनों को कितने समय तक जारी रखा जाए। जहां मंदी की स्थितिं चौथी तिमाही में समाप्त हो गई, वहीं ब्रिटिश चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का कहना है कि पुनरुत्थान अब भी "अत्यधिक सुभेद्य" है।

एक्जिम बैंक ने ब्रिक देशों के विकास बैंकों के साथ सहयोग समझौता हस्ताक्षरित किया

ब्राजील के राजधानी नगर ब्रासीलिया में हाल ही में सम्पन्न हुए ब्रिक (ब्राजील, रूस, भारत, चीन) सम्मेलन के दौरान भारतीय निर्यात-आयात बैंक ने ब्राजील, रूस और चीन के तीन बड़े विकास बैंकों के साथ सहयोग ज्ञापन (MoC) पर हस्ताक्षर किया। भारतीय निर्यात-आयात बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक श्री

टी.सी.ए. रंगनाथन ने ब्रिक के अन्य देशों के विकास बैंकों के अध्यक्षों/ प्रधानों के साथ सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया।

नयी नियुक्तियां

एक्जिम बैंक के नये अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

श्री टी.सी.ए. रंगनाथन को भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक) के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके पूर्व वह स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर के प्रबन्ध निदेशक के रूप में कार्यरत थे।

इंडियन बैंक के नये अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

श्री टी.एम. भसीन ने इंडियन बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

उत्पाद एवं गंठजोड़

आईडीबीआई बैंक, वेंचर इन्फोटेक गंठजोड़

आईडीबीआई बैंक ने अपनी इंटरनेट भुगतान प्रवेश-मार्ग (Gateway) सेवाएं आरंभ करने के लिए प्रौद्योगिकी भागीदार के रूप मे एक लेनदेन प्रबन्धन कम्पनी वेंचर इन्फोटेक का चयन किया है। आईडीबीआई बैंक के महा प्रबन्धक श्री मुरली मोहन ने आग्रहपूर्वक बताया, हमारे पास 100 से अधिक ऐसे वेब व्यापारी हैं, जिन्हें वेंचर इन्फोटेक अपने प्रवेश-मार्ग (गेटवे) पर आद्योपांत सेवाएं उपलब्ध करा रही है। वेंचर इन्फोटेक ने हाल ही में भुगतान प्रवेश मार्ग (Payment Gateway) सेवा-प्रदाता टेक्नोनेट टेक्नॉलॉजीस को अधिगृहीत कर लिया है तथा उसने वीसा, मास्टर कार्ड तथा ई-वाणिज्य से सम्बन्धित भारतीय रिज़र्व बैंक के सभी अद्यतन दिशानिर्देशों का पालन करने हेतु 'इजी 2 पे' वाले अपने भुगतान प्रवेश-मार्ग प्लेटफॉर्म को बढ़ा लिया है।

पीएनबी, शेवरलेट गंठजोड़

सरकार द्वारा स्वाधिकृत दूसरे सबसे बड़े उधारदाता, पंजाब नैशनल बैंक ने शेवरलेट सेल्स इंडिया के साथ सम्पूर्ण भारत में उनकी यात्री कारों का वित्तीयन करने हेतु एक समझौता ज्ञापन (MoU) हस्ताक्षरित किया है। इस गंठजोड़ से दोनों ही भागीदारों को अपेक्षाकृत व्यापक बाज़ारों तक पहुंच बनाने और संभाव्य कार

स्वामियों के लिए वाहन ऋणों को सुविधाजनक एवं आसान बनाने में सहायता प्राप्त होगी। बैंक सात वर्ष की अवधि वाली श्रेणी के लिए अत्यधिक सस्ती दरों पर सड़क पर लागत के 90 % तक के कार ऋण प्रदान करेगा। यह सुविधा बैंक की सभी शाखाओं में तथा शेवरलेट सेल्स के सभी वितरण केन्द्रों में उपलब्ध होगी।

भारतीय स्टेट बैंक ने वात क्षेत्र (wind farm) की शुरूआत के साथ स्वच्छ प्रौद्योगिकी उपक्रम की ज्योति जलाई

इंटरनेशनल फाइनैन्स कार्पोरशन (IFC) जैसी अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कम्पनियों के भारत में स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं का वित्तीयन करने हेतु उत्सुक होने के फलस्वरूप भारतीय स्टेट बैंक ने कार्बन फूटप्रिंट को कम करने में अग्रणी भूमिका निभाने की तत्परता दिखाई है। बैंक ने अपने उपक्रम की शुरूआत कोयम्बतूर (तमिलनाडु) में उसके पहले वात क्षेत्र (wind farm) का उद्घाटन करते हुए की। सुजलान एनर्जी द्वारा आपूर्ति की गई 15 मेगावाट की इस परियोजना में सुजलान की एस-82 वाली 10 इकाइयों तथा 1.5 मेगावाट के विंड टर्बाइन जेनरेटरों का समावेश है। इसके पूर्व इन जेनरेटरों को गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में संस्थापित किया गया था। उक्त परियोजना भारतीय स्टेट बैंक की अपने कार्बन फूटप्रिंट को घटाने तथा ग्राहकों को कार्यकुशल प्रक्रियाएं अपनाने के बारे में संवेदनशील बनाने का एक महत्वपूर्ण अंग है। इन वात टर्बाइनों से उत्पादित बिजली से इन तीनों राज्यों में भारतीय स्टेट बैंक की विविध प्रकार की सुविधाओं एवं परिचालनों को संचालित किया जाएगा।

वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी

प्रतिदेय जमा प्रमाण पत्र

फेडरल डिपोजिट इंश्योरेंस कार्पोरेशन (FDIC) द्वारा बीमित जमा प्रमाण पत्र (CD), जिसमें अन्य प्रकार की नियत-आय वाली प्रतिदेय प्रतिभूतियों जैसी ही विशेषता निहित होती है। प्रतिदेय जमा प्रमाण पत्रों को जारीकर्ता बैंक द्वारा उनकी विनिर्दिष्ट परिपक्वता के पूर्व, सामान्यत: एक निदिष्ट समय-सीमा में तथा वर्तमान मांग मूल्य पर मोचित (वापस लिया) लिया जा सकता है। बैंक जमा प्रमाण पत्र में मांग की विशेषता इसलिए योजित करता है, ताकि ब्याज दरों में कमी हो जाने पर उसे जमा प्रमाण पत्र धारक को उच्चतर दर का भुगतान जारी न रखना पड़े। प्रतिदेय जमा प्रमाण पत्रों को निवेशकों को मांग जोखिम उठाने के लिए प्रोत्साहन के रूप में प्राय: उनके क्रय मूल्य की तुलना में अधिमूल्य पर मोचित किया जाता है।

भारत के समाचार पत्र पंजीकार (रजिस्ट्रार) के पास संख्या : 69228 / 98 के अधीन पंजीकृत

- पंजीकरण संख्या : एमएच / एमआर / दक्षिण -42 / 2010 -12
  पूर्व-अदायगी के बिना प्रेषित करने का लाइसेंस संख्या 15 / दक्षिण / 2010 -

- मुंबई पत्रिका चैनल छंटाई कार्यालय मुंबई - 1 पर प्रत्येक महीने की 25वीं और 26वीं तारीख को प्रेषित करें।

शब्दावली

प्रतिभूतिकरण

प्रतिभूतिकरण एक संस्था / कम्पनी द्वारा उसके ऋण संविभाग के एक अंश का दूसरी कम्पनी को बेचना होता है। तकनीकी रूप से यह ऋणों को ऐसे मानक विक्रेय बॉण्डों में एक साथ समूहित करना है, जिसका उपयोग आगे चल कर उसके उधार देने के कारबार हेतु किया जा सके। एक बार परिवर्तित कर लिए जाने पर ये ऋण बैंक की आस्तियां नहीं रह जाते, यद्यपि बैंक निवेशकों के लिए ऋण का भुगतान करना जारी रख सकता हैं।

प्रावधान व्याप्ति अनुपात

बैंक की आस्ति गुणवत्ता का विश्लेषण करने में एक विशिष्ट तिथि को बैंक के संचित प्रावधान की शेष राशियों का मुख्य सम्बन्ध सकल अनर्जक आस्तियों के साथ होता है। प्रावधान व्याप्ति अनुपात से आशय है ऋण की रकम का वह प्रतिशत, जो बैंक ने किसी ऐसी घटना का सामना करने हेतु अलग रख छोड़ा है, जिसमें ऋण को बट्टे खाते डालना पड़े। अधिक अनुपात इस बात का संकेत करता है कि आगामी वर्षों में बैंक द्वारा किए जाने वाले अतिरिक्त प्रावधान (सकल अनर्जक आस्तियों के तेजी से न बढ़ने पर) अपेक्षाकृत कम होंगे।

संस्थान समाचार

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लिए जोखिम आसूचना पर विशेष कार्यक्रम

संस्थान द्वारा डेलॉइट के सहयोग से अप्रैल माह के दौरान सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के वरिष्ठ कार्यपालकों के लिए जोखिम आसूचना पर एक कार्यक्रम अयोजित किया गया, जिसमें 5 महा प्रबन्धकों और 9 उप महा प्रबन्धकों ने सहभागिता की। उक्त कार्यक्रम ने बैंकों के समक्ष उपस्थित होने वाले विविध प्रकार के जोखिमों के प्रति अन्तर्दृष्टि प्रदान की।

महत्वपूर्ण दरें / अनुपात

बैंक दर	6.00 %
पुनर्खरीद ( ) दर	5.25 %
प्रत्यावर्ती पुनर्खरीद दर	3.75 %
आरक्षित नकदी निधि अनुपात	6.00 %
सांविधिक चलनिधि अनुपात	25.00 %

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक

बाज़ार की खबरें

भारित औसत मांग दर

4.1
3.9
3.7
3.5
3.3
3.1
2.9
2.7
2.5

03/04/10 05/04/10 06/04/10 10/04/10 13/04/10 16/04/10 17/04/10 19/04/10 20/04/10 21/04/10 23/04/10 24/04/10 26/04/10 27/04/10 30/04/10

स्रोत : भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड न्यूज़लेटर्स, अप्रैल 2010

विनिमय दर

अमरीकी डालर / भारतीय रुपया नियत एवं अंतिम

44.80
44.70
44.60
44.50
44.40
44.30
44.20
44.10

पूर्वान्ह 11.30 बजे
अपरान्ह 5.00 बजे

05-04-10 16-04-10 309-04-10

स्रोत : भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (FEDAI)

श्री आर. भास्करन द्वारा मुद्रित, श्री आर. भास्करन द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स की ओर से प्रकाशित तथा क्वालिटी प्रिंटर्स (I) , 6 - बी मोहता भवन, 3री मंजिल, डॉ. ई. मोज़ेस मार्ग, वर्ली, मुंबई - 400 018 में मुद्रित एवं इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स, 'दि आर्केड', विश्व व्यापार केन्द्र, 2री मंजिल, पूव स्कंध, कफ परेड, मुंबई - 400 005 से प्रकाशित।

संपादक : श्री आर. भास्करन

सेवा में

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स
दि आर्केड, विश्व व्यापार केन्द्र, 2री मंजिल, पूर्व खण्ड, कफ परेड,
मुंबई - 400 005
टेलीफोन : 2218 7003 /

आईआईबीएफ विज़न मई, 2010